




विविध वाद संख्या-19/2021-22

<p>आदेश की क्रम संख्या और तारीख</p>	<p>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</p>	<p>आदेश पर की गई कारवाई के बाद में टिप्पणी तारीख के साथ</p>
<p>11.09.2021</p>	<p>आवेदक श्री रितेश कुमार बागारिया, पिता-श्री गोपी कृष्णा बागारिया, ग्राम-बड़ाजामदा, पो-बड़ाजामदा थाना-गुवा, जिला-प० सिंहभूम ने आवेदन देकर अनुरोध किया है कि मौजा बड़ाजामदा, थाना सं 774, खाता सं 227, प्लॉट सं 2244, रकवा 1.11 एकड़ भूमि का जिसका लगान रसीद वर्ष 2019-20 का ऑनलाईन लगान भुगतान किया गया है परन्तु ऑनलाईन पंजी-II में दर्ज नहीं है।</p> <p>संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग करें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी। </p>	
<p>27.09.2021 15-3-22</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि हाल सर्वे खतियान में मौजा बड़ाजामदा, थाना सं 774, खाता सं 227, प्लॉट सं 2244, रकवा 1.11 एकड़ भूमि श्री पंचु नायक, पिता-भोगता नायक के नाम पर दर्ज है। दलिल संख्या-1957/1909 नामांतरण वाद संख्या-71/04-05 के द्वारा मौजा बड़ाजामदा, थाना सं 774, खाता सं 227, प्लॉट सं 2244, रकवा 1.11 एकड़ भूमि में श्री रितेश कुमार बागारिया, पिता-श्री गोपी कृष्णा बागारिया के नाम पर दर्ज है। किन्तु ऑनलाईन पंजी-II में दर्ज नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>अतः आदेश दिया जाता है कि में मौजा बड़ाजामदा, थाना सं 774, खाता सं 227, प्लॉट सं 2244, रकवा 1.11 एकड़ भूमि में श्री रितेश कुमार बागारिया, पिता-श्री गोपी कृष्णा बागारिया ऑनलाईन पंजी-II के भाग संख्या2.....एवं पृष्ठ संख्या76.....के नाम पर दर्ज करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी। </p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, नोवामुण्डी। </p>	